

# जवाहर नवोदय विद्यालय

बारसूर, जिला दन्तेवाडा (छ.ग.)  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त  
संस्थान, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  
भारत सरकार



JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA  
BARSOOR, DISTT. DANTEWADA (C.G.)  
(An Autonomous Organization under Ministry of  
H.R.D., Dept of School Education and Literacy)  
Govt. of India

Phone :- 07856.248211 (o) (R) 248257 Fax 07856 -248211

एफ.क्र./3-15 /निविदा /ज.न.वि.ब./2021-22/

दिनांक :

प्रति,

.....  
.....  
.....

विषय :- विद्यालय को वर्ष 2021-22..... सामग्री के प्रदाय हेतु निविदा प्रस्तुत करने संबंध में।

नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय के पक्ष में जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर जिला दन्तेवाडा (छ.ग.) हेतु ..... सामग्री के प्रदाय हेतु पंजीकृत फर्मो/दुकानों/व्यवसायियों से वित्तीय एवं तकनीकी बोलियों को अलग-अलग सीलबंद लिफाफ में प्रस्तुत करना होगा। 1. **‘वित्तीय बोली’** में सामग्रियों का दर का उल्लेख एवं 2. **‘तकनीकी बोली’** में दस्तावेज (जैसे वाणिज्य कर, पंजीकृत प्रमाण एवं अन्य दस्तावेज) संलग्न करना होगा। उक्त सामग्री के लिए दिनांक 16.07.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 16.08.2021 तक सायं 4.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 17.08.2021 को प्रातः 11 बजे विद्यालय क्रय समिति एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी।

1. निविदा मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर में .....सामग्री का वित्तीय बोली एवं तकनीकी बोली अंकित हो।
2. वेसाइट से डाउनलोड की गयी निविदा निविदादाता द्वारा धरोहर/ जमानत धनराशि के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य रुपये 200/- का डिमांड ड्राफ्ट पृथक से लगाया जाना अनिवार्य रहेगा।
3. निविदा स.क्र. 3 से 15 में वर्णित शर्तों के आधार पर ही प्रस्तुत किये जाये।
4. निविदा में अंकित दर समस्त करों जैसे जी.एस.टी., सेल्स टैक्स, एक्ससाइज ड्युटी इत्यादि सहित होने चाहिये। एफ. ओ. आर विद्यालय होगा। किसी भी प्रकार के माल-भाड़ा अथवा वाहन परिवहन शुल्क आदि का भुगतान विद्यालय वहन नहीं करेगा।
5. निविदा में किसी भी प्रकार के कांट - छांट अथवा ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिये है। अगर किसी प्रकार की गलती हो जावे तो उसे पूर्णतः काटकर स्पष्ट अक्षरों में अलग से लिखा जावे तथा उसके समक्ष हस्ताक्षर एवं तिथि लिखा जावे अन्यथा निविदा को पूर्णतः अस्वीकृत माना जावेगा।
6. निविदा में वर्णित सामग्रियों को केवल न्यूनतम दर होने पर ही स्वीकार योग्य माना जावेगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी एक अथवा एक से अधिक अथवा समस्त सामग्रियों के दर को अस्वीकार कर सकता है।
7. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकर्ता को स्टाम्प पेपर पर समस्त नियम एवं शर्तों के पालन हेतु एक अनुबंध करना होगा जो कि सामान्य वित्तीय नियमों (General Financial Rules) पर आधारित होगा।
8. समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के अनुसार निविदा सहित धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रु. .... का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर के पक्ष में हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बारसूर को देय हो सलंग्न होना अनिवार्य है, बैंक ड्राफ्ट की अनुपस्थिति में टेण्डर स्वीकृत नहीं होगा। अनुबंध में वर्णित नियम एवं शर्तों के पालन न करने की स्थिति में जमा की गई धरोहर राशि जप्त कर लिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को सेक्युरिटी डिपोजीट जो कुल राशि का 10 प्रतिशत के बराबर हो के साथ समायोजित किया जावेगा। टेण्डर अस्वीकृत होने की स्थिति में धरोहर राशि वापस कर दिया जावेगा।

9. आपूर्ति आदेशानुसार सगयावधि में सामग्री सप्लाई न करने की स्थिति में आदेशित सामग्री बाजार से कय कर अन्तर की राशि यदि हो तो सेक्यूरिटी डिपोजिट से काट ली जावेगी।
10. निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्रियों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
11. निविदा स्वीकृत करने का अद्योहस्ताक्षर को पूर्ण अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता से सैम्पल की मांग कर सकता है अथवा स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जा सकता है।
12. निविदाकर्ता द्वारा अंकित दर 30.04.2022तक वैध होगा। विक्रय कर में वृद्धि या कमी को छोड़कर निविदा में अंकित दर किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकेगा समय-समय पर ब्रांडेड सामग्रियों के साथ दिये जाने वाले उपहार (Gift Items) भी सामग्री के साथ बिना मुल्य के सप्लाई करना होगा जो बिल में अलग से दर्शाना होगा।
13. आपूर्ति आदेशानुसार सामग्री के सप्लाई होने के अद्योहस्ताक्षरकर्ता को वह अधिकार होगा वह अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा सामग्री का प्रमाणिकरण (Verification) जमा किये गये सेम्पल एवं स्पेशिफिकेशन से कर सकता है एवं गुणवत्ता के आधार पर न पाये जाने की स्थिति में उसे वापस भी कर सकता है।
14. फर्नीचर सामग्री के सप्लाई के संदर्भ में फर्नीचर केवल सिंजड टिकं वुड होना चाहिये एवं वुड 10 प्रतिशत से अधिक गेप नहीं होनी चाहिये। सप्लाई किये जाने वाले फर्नीचर में सप्लायर मेटल लगायेगा जिसमें फर्म का नाम एवं उत्पादन/निर्माण वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।
15. सेक्यूरिटी डिपोजिट के राशि सामग्री सप्लाई के छः माह पश्चात ही वापस किया जायेगा ताकि किसी तरह के डिफेक्ट इत्यादि यदि हो तो भरपाई किया जा सकें।
16. निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों के सफलतापूर्वक पालन न करने की स्थिति में निविदा को रद्द (Reject) कर दिया जावेगा।
17. विद्यालय क्रय समिति(PAC) कोई भी समय पर निविदाओं को स्वीकार या रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. मुहरबन्द निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जानकारी होने आवश्यक है :-  
 अ. अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी चालू इन्कमटैक्स विलयरैस सर्टिफिकेट।  
 ब. GST/TIN/TAN/PAN नं. कि छाया प्रति एवं स्थाई रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति।  
 स. धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।  
 द. न्यूनतम कोटेशन दर संलग्न प्रपत्र में।  
 ध. सामग्री का स्पेशिफिकेशन प्रिन्टेड केटलॉग एवं अन्य संबंधित जानकारी।  
 म. अधिकृत डीलर यदि हो तो कम्पनी द्वारा जारी अथेराइजेशन लेटर।  
 य. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर अधिकृत व्यक्ति निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

  
 प्राचार्य

जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर

**Principal**

**Jawahar Navodaya Vidyalaya Barsoor**

**सप्लायर द्वारा दिये जाने वाले अनुबंध (Under the Contract Agreement) (C.G. 49444)**

यह मेसर्स ..... फर्म का नाम प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर के निविदा प्रपत्र में वर्णित स.क. 03 से 15 तक के सभी शर्तों/नियमों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया हूँ तथा उससे पूर्णतः सहमत हूँ।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर

प्रोपराइटर के नाम फर्म का सील

दो गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम पता

1.

2.